[Shri Dinen Bhattacharya]

trade unions, the Government agencies and the employers' organisations participated and the norms were decided. A worker has to purchase daily necessities of life for his family. The term "family" was also defined there. The public sector workers are not at present asking for a minimum need-based wage on that basis. They are asking for a little increase in their emoluments. That is the thing that you should consider and you may kindly pass over your reaction to other Ministers who are not here but who are very much concerned with this issue.

With these words, as suggested by the hon. Minister, and, as I am expecting that from the meeting of the 5th March, something will come out, I am withdrawing the resolution.

MR. CHAIRMAN: In the light of the fact that the Resolution is being withdrawn, are you still pressing your amendment, Dr. Ramji Singh?

DR. RAMJI SINGH: No, Sir; I am not pressing; I want to withdraw.

The Amendment No. 1 was, by leave, withdrawn.

MR. CHAIRMAN: Mr. Dinen Bhattacharya, are you withdrawing your Resolution?

SHRI DINEN BHATTACHARYA: Yes, Sir.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.36 hrs.

RESOLUTION *RE*: BAN ON COW SLAUGHTER

MR. CHAIRMAN: Dr. Ramji Singh.

*डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा सरकार को निदेश देती है कि . . . .

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I rise on a point of order. My submission is that this motion is inadmissible. The motion refers to a total ban on the slaughter of cows. It wants this Government, namely, the Central Government, to ensure a total ban on the slaughter of cows of all ages and calves. At the same time the motion refers to article 48 of the Constitution. In other words, the Mover desires that the total ban on the slaughter of cows of all ages and calves is to be secured in consonance with the Directive Principles laid down in article 48 of the Constitution. Article 48 of the Constitution speaks about 'Organisation of agriculture and animal husbandry'. In order that my point may be clear, I would read out this article 48 and then proceed with my submission. Article 48 reads as follows:—

> "The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter of cows of all ages and other milch and draught cattle."

You will, therefore, observe that article 48 refers to, and has this heading also, 'Organisation of agriculture and animal husbandry'. Now, we have to see whether this subject-matter comes in the Central List. I would, therefore, draw your attention to the Seventh Schedule to the Constitution. There are three Lists, as we know: List I, List II and List III. List I lists the Central subjects, List II...

MR. CHAIRMAN: Mr. Banatwalla, please hear me. What I see is that, actually, it has been admitted by the Speaker. I cannot give a ruling on this...

SHRI G. M. BANATWALLA: You may reserve it. You may do anything. That is none of my concern. That is your headache..

MR. CHAIRMAN: Will you please hear me? I am not obstructing you.

nor am I going to pass on my headache to you. The only thing is that what you want to say can be said during the course of the debte....

SHRI G. M. BANATWALLA: No. I am raising it at this stage. Let it go on record.

As I was saying, the Seventh Schedule has three Lists: the Central List, the State List and the Concurrent List. The State List is List II, and item 15 of this List says:

> "Preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases, veterinary training and practice."

In other words, this question about improvement of livestock, about the total ban on cow slaughter, is not within the competence of this House. The Constitution gives it in the State List. It is for the States, if they so desire, to have the necessary measure in their Legislature, though I think that in their wisdom they will not do so. However, here we are concerned with List I and List III of the Seventh Schedule which gives the subjects under the Central List and under the Concurrent List. Securing the implementation of Art. 48 comes neither in the Central List nor in the Concurrent List. It is a State matter. The resolution is asking the government to ensure a total ban which the government is totally incompetent, which this government, the Central Government is totally incompetent to do. I, therefore, plead with you, it is an important matter concerning the very competence of this House, concerning the very competence of this government. I, therefore, plead with you to take into consideration dispassionately the point that has been raised.

I also plead with you not to go merely by saying that the resolution has been previously admitted by the Speaker. It requires reconsideration if the admissibility has been given, in view of the points that have been raised by me. There are several other points also into which I am not going. I will go by your direction to take part in the debate, but, on these points I hope that if you are not in a position and if you are not taking up the responsibility to rule on these points, at least the matter may be held over for the reconsideration of the Speaker. However I plead ith you to throw it out as inadmissible and beyond the competence of this House and beyond the competence of the government and beyond human wisdom too.

MR. CHAIRMAN: Thank you very much for raising the point. But I am afraid I cannot take any decision on this because firstly the motion has alreay been admitted and, if I am not wrong, earlier also this point was raised in connection with a Bill on the same subject and the House at that time was pleased to allow it to be introduced.

SHRI G. M. BANATWALLA: This particular point that the whole thing appears in the State List—in the Seventh Schedule, was not raised at that time. The point that I had raised was with respect to a case decided, Mohd. Hanif Qureshi's case and that was decided by the Supreme Court. This particular point that it appears in the State List in Seventh Schedule and not in the Concurrent or the Central Lists is being raised now. . .

MR. CHAIRMAN: I do not mean to say that as earlier the Bill was allowed to be introduced by the House, it cannot go back and just reject the resolution which is being discussed today on whatever points you have raised. The only point is that at this stage no ruling can be given by me, by the Chair and it has never been such a practice. The House will discuss the matter and taking into consideration all the points you have raised, it may also give its opinion at the end.

SHRI G. M. BANATWALLA: It is blatantly in admissible and beyond the competence of the House.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: You can hold it.

MR. CHAIRMAN: I cannot simply hold it. I am sorry if the only way is to just put it to the House.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: It does not come under the Central jurisdiction.

MR. CHAIRMAN: After all, all these matters are matters which are to be decided by the House itself after discussion and not to be decided by me.

Dr. Ramji Singh.

SHRI G. M. BANATWALLA: Let us know definitely if it is in the Central List. This House cannot consider this motion.

MR. CHAIRMAN: You have made your point very clear. After all I have also said what I wanted to say.

SHRI G. M. BANATWALLA: Will you hold that it is within the competence of the House? Will you hold that the point that I have raised is not proper?

MR. CHAIRMAN: Will you please allow us to proceed?

SHRI G. M. BANATWALLA: I protest at the manner in which you are allowing the matter to be discussed.

I have already said that all the points which you have raised may be decided by the House.

SHRI G. M. BANATWALLA: You are in the Chair. I have raised a valid point. You can decide that. The House has been taken for a ride. The House is asked to discuss on a subject which is neither in the Concurrent List nor in the Central List.

Therefore, Sir, in the strongest possible terms I protest.

MR. CHAIRMAN: Dr. Ramji Singh.

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति जी, मैं संकल्प पेश करता हूं–

"यह सभा सरकार को निदेश देती है कि वह संविधान के अनुच्छेद 48 में निहित निर्देशक तत्वों के अनुरूप जैसी कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उस की व्याख्या की गई है तथा ढोर परीक्षण तथा विकास समिति की सिफारिशों पर आधारित प्रबल आर्थिक आवश्यकताओं और 21 अप्रैल, 1979 से आचार्य विनोबा भावे की कथित भूख हड़ताल को देखते हुए सभी आयु की गायों और बछड़ों का वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करे ।"

सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा अफसोस यह है कि हमारे माननीय मित्र बनातवाला साहब को यह प्रस्ताव लाना चाहिये था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुझे इस प्रस्ताव को यहां लाना पड़ा। पिछली दफा जब मैंने एक विधेयक प्रस्तुत किया था, उस समय भी हमारे माननीय मित्र बनातवाला साहब ने, जिनके लिये हमारे दिल में बहुत इज्जत है, संवैधानिक आधार पर इसका विरोध किया था। उसी समय मैंने कहा था कि जब भारतीय संविधान की धारा 48 में के निदेशक तत्वों में इसका उल्लेख है और जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैंने हवाला दिया था, उसी समय मैंने यह भी कहा था कि इसी सर्वोच्च सदन में इस सम्बन्ध में 6 बार प्रस्ताव और बिल लाये गये हैं। उस समय भी मैंने बड़ी मुहब्बत और इज्जत से उनके सामने आर्ग्यू किया था कि यदि वे स्वयं इस प्रस्ताव को मूव करते तो वह देश के लिये शायद ज्यादा अच्छा होता। सचमुच, सभापति महोदय, कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि जब गो हत्या की बात होती है तो उसको साम्प्रदायिकता के साथ जोड़ दिया जाता है।

सभापति महोदय, गौ-रक्षा के लिये पूज्य बापू ने कितना कहा था, उस का उद्धरण मैं अभी देना नहीं चाहता, लेकिन यदि गांधी साम्प्रदायिक है, तो रामजी सिंह भी साम्प्रदायिक हैं। आज गौ-हत्या बन्द करने का सवाल हिन्दुओं के लिये जितना आवश्यक नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हमारे मुसलमान भाइयों और अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिये आवश्यक है। मैं अपने जीवन की बातें कहना नहीं चाहता या मैंने अल्पसंख्यकों अपने मुसलमान भाईयों के लिये जो कुछ किया, वह मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर यह प्रस्ताव हमारे माननीय मित्र बनातवाला साहब प्रस्तुत करते तो हिन्दू-मुसलमानों का जो संघर्ष आजादी से पहले से चल रहा था और गांधी जी को गोली मारे जाने के 31 वर्ष बाद भी जिस की आग नहीं बुझी है—उस आग को बुझाने में बहुत सहायक सिद्ध होता।

सभापति महोदय, टर्की के खिलाफत आन्दोलन के वक्त हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसलमानों ने कन्धे से

कन्धा मिला कर जब उस के खिलाफ जंग लड़ी थी, उस समय भी उस इकरारनामे में यह बात कही गई थी कि गो.हत्या पर पाबन्दी हो। अभी कल ही मीर मुश्ताक साहब से आचार्य विनोबा भावे के प्राइवेट सेक्रेटरी राजू भाई बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बात तो होनी ही चाहिये। दुर्भाग्य यह है कि यह सवाल हम को उठाना पड़ा है। यदि आप इस को मूव करते तो इस प्रस्ताव की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती और देश में एक नया वातावरण पैदा होता।

सभापति महोदय, मिस मेयो ने एक किताब लिखी है—"मदर इण्डिया", जिस का पहला चैप्टर "कालीघाट" है, उस की पहली पंक्ति है—

"Kalighat is the Temple of Goddess; No, no, this is a slaughter house of Goats."

सभापति महोदय, जिस देश में इस प्रकार से चर्चा होती है, उसी समय कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या कहा था—जब वहां पर रामचन्द्र शर्मा वीर ने उपवास और अनशन किया—

DR. SARADISH ROY (Bolpur): It is a *veda* in a Hindu religion.

डा. रामजी सिंह : इस का मैं आप को उत्तर दूंगा। आप को शायद मालूम नहीं कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी बंगला की कविता में गऊ के बारे में क्या कहा है—

अमार जानाई नमस्कार

मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं।

स्तनच्युत भीत पशुक्रन्दन।

जो मां का दूध पी रहा है, उसके लिये तुमने प्राणों की बाजी लगा दी है इसलिये तुम्हें मैं नमस्कार करता हूं। जब छोटे छोटे बकरे के लिये हम प्राण लगा सकते हैं तो गऊ जो हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता की माता है, हिन्दुस्तान की खेती की सुरक्षा है, पशुधन की एक माता है, उसकी जब हम बात कहते हैं तो साम्प्रदायिक कैसे हो जाते हैं?

यह बात ठीक है कि हिन्दू लोग गाय को अपनी माता समझते हैं। लेकिन यह मानने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं ने आप से पहले ही निवेदन किया कि अगर बनातवाला साहब यह प्रस्ताव लाते तो बहुत अच्छा था। हम उन से आज मिल कर इस बात की चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि यह मुसलमानों के खिलाफ कैसे है। अकबर के समय में भी गऊ हत्या बन्द थी। आज इस सवाल को मुसलमानों से जोड़ना गलत है। मैं हदीस की बातें भी आप के सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं कह सकता हूं कि कुरान शरीफ में भी गऊ की कुर्बानी के बारे में नहीं कहा गया है।

DR. SARADISH ROY: Beef-eating is provided in Vedas!

डा. रामजी सिंह : वेद में गौ-हत्या बन्द है या नहीं, मैं इसका भी सन्दर्भ दे सकता हूं। यह बात मैं धार्मिक दृष्टि से नहीं कर रहा हूं। जो इस सवाल को धर्म से जोड़ते हैं, या जो लोग इस बारे में साम्राज्यवाद या पूंजीवाद की बात करते हैं मैं उन लोगों में से नहीं हूं। अब हम गाय की रक्षा की बात करते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे आदरणीय समर बाबू साहब जानते होंगे कि सतीश बाबू की किताब "काऊ इन इण्डिया" जो कि एक हजार पन्ने की किताब है, में कहा गया है कि हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ गाय का कितना सम्बन्ध है। केटल प्रिजर्वेशन डवलपमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसका भी मैंने हवाला दिया है? हिन्दुस्तान में कितने लोग ट्रैक्टर रखने वाले हैं। कुछ बड़े बड़े लोग ट्रैक्टर रख सकते हैं। हिन्दुस्तान के 80 फीसदी किसान बैलों से काम लेते हैं। बैलों को पैदा करने वाला कौन है वह हमारी गाय है। आज गाय की हालत क्या है। क्या होता है, उसके साथ? बंगाल में विनोबा जी ने ज्योति बसु को भी लिखा है। मैंने इस सम्बन्ध में जयप्रकाश जी से भी बात की थी, उन्होंने भी उन्हें पत्र लिखा है। अगर जयप्रकाश जी साम्प्रदायिक हो सकते हैं, अगर गांधी जी भी साम्प्रदायिक हो सकते हैं तो यह कहना होगा कि मैं भी साम्प्रदायिक हूं। मैं इस बात को स्वीकार कर लूंगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल में गाय के बारे में केवल मुसलमान कसाइयों का दोष नहीं है, यह उन हिन्दुओं का भी दोष है जो गाय को बेचते हैं, उसे संरक्षण नहीं देते हैं। करेंगे तो जरूर गौ-रक्षा के लिये आन्दोलन लेकिन गाय को संरक्षण नहीं देंगे। हृदय में जो करुणा का भाव है वह भंग हो जाता है। गांधी जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था :

Cow is a poem of piety and innocence.

उसी गाय को हरियाणा, पंजाब आदि से कलकत्ता भेज दिया जाता है जहां उन को एक तरह का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसका दूध देने का जो पीरियड है वह बढ़ जाए और उसके बाद चूंकि उस का पालन नहीं हो सकता है, वह दूध देना बन्द कर देती है उस को मारा जा सके, उसका वध किया जा सके। यह कानून है कि दूध देने वाली गाय का वध नहीं हो। लेकिन क्या किया जाता है। गाय के दांत, सींग आदि तोड़ दिये जाते हैं, उसको इतना भूखा रखा जाता है कि वह बूढ़ी हो जाय ताकि उसका वध किया जा सके। अच्छी अच्छी नस्ल की पंजाब और हरियाणा की गायों का इस तरह से कलकत्ता में उनको ले जा कर वध कर दिया जाता है।

हरित क्रान्ति, व्हाइट क्रान्ति की बात की जाती है। लेकिन उस को लाने में जो सहायक हो सकता है बैल आदि उनकी क्या हालत है। आज बैल की कीमत को आप देखें। एक जोड़ी बैल खरीदने के लिये उसको तीन हजार रुपये देने पड़ते हैं। क्या कारण है कि उन की संख्या इतनी कम है और कीमत इतनी अधिक है? कारण यही है कि हमने गौ-रक्षा की बात को विस्मृत कर दिया है। अभी भी भारत में अस्सी प्रतिशत खेती बैलों से होती है। छोटी छोटी जोतें चूंकि हैं इस वास्ते उन में ट्रैक्टर चलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं

[डा० राम जी सिंह]

समझता हूं कि हिन्दुस्तान में गोरक्षा का सवाल कोई साम्प्रदायिक सवाल नहीं है। बल्कि आर्थिक नीति से यह सवाल जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जब संविधान बन रहा था उस समय आप सहमत होंगे कि उसको बनाने वाले कोई संकीर्ण साम्प्रदायिक आदमी नहीं थे और उन्होंने धारा 48 रखी। इस में निर्देशक तत्व दिया हुआ है कि गोवध बन्द होना चाहिये दुख की बात है कि संविधान की रक्षा करने वाले पिछले 31 वर्ष से इसको भुलाये बैठे हैं और अब पहले से ज्यादा गायें कट रही हैं। यही कारण है कि हमारी कृषि की व्यवस्था लड़खड़ा रही है। जब इस प्रश्न को छेड़ा जाता है तो दुख की बात है कि इसको साम्प्रदायिकता के साथ जोड़ दिया जाता है। लेकिन आप पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखें। मुगल काल को देखें। अकबर के वक्त में भी गाय के वध की बन्दी थी। इस वास्ते इस को साम्प्रदायिक सवाल कह कर उड़ा देना ठीक नहीं होगा। धारा 48 की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वह भी आप के सामने है। हिन्दू मुसलमान राइट्स को जो रिपोर्टस हैं उन को उन के सामने प्रस्तुत किया गया था। इन राइट्स का एक बहुत बड़ा कारण गो हत्या रहा है। कोई बात महीने पहले हमारे भागलपुर में वहां किसी बदमाश ने जो हिन्दू मुस्लिम सौहार्द को प्रेम को नष्ट करना चाहता था गाय का मांस इधर उधर छिड़क दिया जिससे दंगा भड़क उठा। यह बड़ा ही संवेदनशील प्रश्न है। इस वास्ते दंगे बड़ी आसानी से भड़क जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 48 की व्याख्या करते हुए यही कहा है कि गोवध बन्द होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट कहती है, भारत की संस्कृति कहती है, गांधी जी जो हिन्दु मुस्लिम एकता के लिए शहीद हुए कहते हैं कि इस को बन्द होना चाहिये, गांधी जी के शीर्षस्थ और मूर्धन्य शिष्य आचार्य विनोबा भावे ने उपवास किया है इस को लेकर। आदरणीय प्रधान मंत्री जी अभी उन से मिल कर आए हैं। कल मुझे सूचना मिली है कि शिवरात्रि के दिन से उन्होंने खाना थोड़ा कम कर दिया है---

सभापति महोदय : आप अगली बार जारी रखें। अब आधे घंटे की चर्चा ली जानी है।

डा. रामजी सिंह : धन्यवाद।

---

18 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

PROVISION OF EMPLOYMENT DURING THE NEXT TEN YEARS

MR. CHAIRMAN: The House will now take up Half-an-Hour Discussion to be raised by Prof. Samar Guha on points arising out of the answer given on the 21st February, 1979 to Starred Question No. 22 regarding provision of employment during the next ten years.

PROF. SAMAR GUHA (Contai): Mr. Chairman, Sir, I am raising this issue for discussion today which is, in a sense, more explosive than the nuclear explosion. The structure of our democratic society, our political institutions, will face severe explosion perhaps by the end of this century, if not earlier, unless we tackle this problem of unemployment. The way the population is growing, the problem of unemployment is also growing and it has become so appalling that a solution also baffles our wisdom what to speak of our resources. Although the problem is very appalling, yet at different times, different figures about the unemployment are given to us. This is what has been done in all these years. Even earlier, different figures were given at different times. The correct figure that you can have about the unemployed persons is from the unemployment registers with the employment exchanges. Just to highlight the problem—perhaps there is no need to highlight it, it is known to everybody—in 1970, there were four million unemployed persons in the live registers of the employment exchanges. This figure rose to 10.2 million in 1977 and to 12.2 million in 1978; an increase of 19 lakhs in one year; that is 18.7 per cent. In 1970, employment for only 4.5 lakhs was found in 1977, it was found only for 4.6 lakhs. I am mentioning these figures just to make ourselves aware of the problem. We shall have to tackle this problem or otherwise, as I said earlier, our democratic society will crash, perhaps in no time unless we tackle this problem.

I am very happy that the Prime Minister has made a very bold statement that the unemployment problem will be solved within a period of ten years, I wish, the Prime Minister helps this country, guides this country upto 1987. If he can really do so—Rajaji